

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प. 5(3)नविवि/II/2018

जयपुर, दिनांक: 29 SEP 2021

**आदेश**

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में नगर सुधार न्यासों/प्राधिकरणों के निलम्बित राजसेवकों के मामलों का पुनरावलोकन करने हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(5)नविवि/II/2012 दिनांक 25.06.2012 द्वारा गठित कमेटी की बैठक दिनांक 09.07.2021 में सर्वसम्मति से लिये गए निर्णयानुसार श्री विमल माहेश्वरी, कनिष्ठ अभियन्ता को निलम्बन से बहाल किया जाता है।

श्री माहेश्वरी को बहाली पश्चात् नगर विकास न्यास, बाडमेर में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर निर्देशानुसार पदस्थापित किया जाता है।

श्री माहेश्वरी की निलम्बन अवधि का नियमितिकरण एसीबी में दर्ज प्रकरण में पारित निर्णय के अध्यक्षीन किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

*-sd/-*  
(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, बाडमेर।
7. श्री विमल माहेश्वरी, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

*1/5*  
सहायक शासन सचिव-द्वितीय